

thwart the efforts of the Indian Oil Corporation to persuade these fabricators to make competitive quotations.

कर्मचारियों को स्वामित्व अधिकार

120. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि शृङ्खला-निर्माण बोर्ड द्वारा किराया खरीद के बाधार पर सरकार की सहायता से कर्मचारियों के लिए बनाये गये मकानों का स्वामित्व उन्हें ही दे दिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार देश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों तथा नगरों के कर्मचारियों को समान रूप से मालिक मकान बनाने का विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) तथा (ख). औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आधिक हस्ति से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बनाए गये मकानों की, उनके वर्तमान दखलकारों का बिक्री के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर, हाल ही में महाराष्ट्र के आवास मंत्री से विचार विनिमय किया गया। राज्य सरकार को भारत सरकार के विचार के लिए, बिक्री का सुस्पष्ट प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है।

(ग) तथा (घ). योजना के अन्तर्गत बने मकानों की बिक्री को, नियम के तौर पर, निःत्साहित किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार के विशिष्ट प्रयत्नों पर गुण-अवगुण अनुसार विचार किया जाता है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट और घटिया स्तर के खाद्य पदार्थों की परिभाषा

122. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि स्वास्थ्य अधिकारी व्यापारियों और हल्वाइयों को परेशान कर रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट और घटिया स्तर के खाद्य पदार्थों की वर्तमान परिभाषायें स्पष्ट नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार खाद्य पदार्थों में मिलावट और घटिया स्तर के खाद्य पदार्थों की परिभाषाओं को विस्तृत स्पष्ट करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) से (घ). जी नहीं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में अपमिश्रित तथा उप-मानक खाद्य को जो परिभाषा दी गई है वह पूर्णतः स्पष्ट है। तथापि देश के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, मिट्टी आदि जैसे प्राकृतिक तथ्यों के कारण खाद्य पदार्थों के गुणों में संभाव्य अन्तर के बारे में व्यापारियों से अन्य-